वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष :: 2014–15

कानपुर नगर निगम

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2014–2015

1.1 प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। प्रस्तुत भाग में ऐसे सामान्य एवं गम्भीर प्रकरणों जो ऑडिट आपत्तियों द्वारा अधिकारियों की जानकारी में लाये जा चुके थे, का समावेश किया गया है। उपर्युक्त नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि ऐसे प्रतिवेदन में इस बात पर भी प्रकाश डाला जाय कि उक्त उठाये गये सामान्य एवं गम्भीर प्रकरणों पर विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई। उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

1.2 प्रशासन

आलोच्य वर्ष में, नगर निगम, कानपुर में निम्न महापौर, नगर आयुक्त एवं मुख्य नगर लेखा परीक्षक तैनात रहेः–

1. **माननीय महापौर** :– **श्री जगतवीर सिंह द्रोण।**
2. **नगर आयुक्त** :–1.श्री आर.एन. बाजपेई (दि013 जून 2014 तक)।
   2.श्री उमेश प्रताप सिंह (दि0 14 जून 2014 से) ।
3. **मुख्य नगर लेखा परीक्षक** :–1.श्री सुशील प्रकाश सिंह (दि0 30 सित0 2014 तक)।
   2.श्री संजय दीक्षित (कार्यवाहक) (दि0 01 अक्टूबर 2014 से दि0 03 मार्च 2015)।
   3.श्री हुबई (दि0 04 मार्च 2015 से)।

भाग–1

1.3 अनिर्णीत आपत्तियाँ

नगर निगम के विभिन्न विभागाध्यक्षों ने सम्परीक्षा विभाग द्वारा वाँछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने व उठायी गई आपत्तियों को निर्णीत कराये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–76 के अनुसार आपत्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर विभाग द्वारा उत्तर दे दिया जाना चाहिये परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण आलोच्य वर्ष में उठायी गयीं 22 साधारण आपत्तियों में से 17 साधारण आपत्तियाँ अनिर्णीत रहीं व इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में उठायी गयीं 4 विशेष आपित्तयों में से किसी भी आपत्ति को निर्णीत नहीं कराया गया। सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में मात्र 5 साधारण आपत्तियों का ही निस्तारण विभागों द्वारा कराया गया जो कि अति न्यून है।

वर्ष 2014–15 की साधारण एवं विशेष आपत्तियों का विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम	उठायी गयी सा0 आपत्तियाँ	निर्णीत सा0 आपत्तियाँ	शेष	उठायी गयी विशेष आपत्तियाँ	निर्णीत विशेष आपत्तियाँ	शेष
	1	2	3	4	5	6	7
1	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	7	4	3			0
2	केयर टेकर	2		2			0
3	उद्यान विभाग	1		1			0
4	आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय	0		0	1		1
5	लेखा विभाग	0		0	1		1
6	सम्पत्ति विभाग	0		0	2		2
7	अधि अभियन्ता क्षेत्र–1	1		1			0
8	अधि अभियन्ता क्षेत्र–2	1		1			0
9	अधि अभियन्ता क्षेत्र–3	1		1			0
10	अधि अभियन्ता क्षेत्र–4	1		1			0
11	अधि अभियन्ता क्षेत्र–5	1		1			0
12	अधि अभियन्ता क्षेत्र–6	1		1			0
13	सहा0 न0 आयुक्त जोन–2	1		1			0
14	सहा0 न0 आयुक्त जोन–3	1		1			0
15	सहा0 न0 आयुक्त जोन–6	1		1			0
16	कार्मिक	1		1			0
17	अधि0 अभि0 ट्रेफिक सेल	1	1	0			0
18	उप नगर आयुक्त (कैटिल कैव्रिग)	1		1			0
	कुल आपत्तियाँ	22	5	17	4	0	4

1.4 वाहनों से संबंधित लॉग बुकों को आडिट में न दिखाया जाना।

क्रम सं0	विभाग का नाम	माह व वर्ष	आपत्ति संख्या
1.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–1	जनवरी 2015	10/14–15
2.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–2	जनवरी 2015	11/14–15
3.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–3	जनवरी 2015	12/14–15
4.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–4	जनवरी 2015	13/14–15
5.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–5	जनवरी 2015	14/14–15
6.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–6	जनवरी 2015	15/14–15
7.	प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग	जनवरी 2015	16/14–15
8.	प्रभरी अधिकारी (उद्यान)	जनवरी 2015	17/14–15
9.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	जनवरी 2015	19/14–15
10.	प्रभारी अधिकारी केयर टेकर	जनवरी 2015	20/14–15
11.	प्रभारी अधिकारी केयर टेकर	जनवरी 2015 जेनरेटरों	21/14–15

1.5 सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में।

विभाग का नाम	संबंधित कर्मचारी का नाम	आपत्ति संख्या
जोनल अधिकारी जोन–2	श्री एजाज अहमद पुत्र स्व0 जमील अहमद, चपरासी	4/14–15
स्वास्थ्य विभाग	श्री अशोक पुत्र जमुना, सफाई कर्मचारी	8/14–15

साधारण आपत्तियाँ (निस्तारित)

स्वास्थ्य विभाग (नगर स्वास्थ्य अधिकारी)

1. अशुद्ध वेतन निर्धारण के कारण अधिक किये गये भुगतान के संबंध में।

श्री लालराम पुत्र महादेव, सफाई कर्मचारी, वार्ड–17 की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि इनका वेतन निर्धारण दि0 01.01.1988 से अशुद्ध निर्धारित है। जिसके कारण कर्मचारी को अधिक वेतन भुगतान प्राप्त हो रहा था।

अतः कर्मचारी को प्राप्त अधिक वेतन की कटौती/समायोजन करते हुये कार्यवाही से सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराने हेतु आपत्ति जारी की गयी थी।

इस आपत्ति के उत्तर में विभाग द्वारा अधिक भुगतान की कटौती रू0 71,888.00 कर्मचारी के देय उपादान से प्रस्तावित की गयी। प्रस्तावित कटौती जाँच में सही पाये जाने पर एवं लेखा विभाग द्वारा भुगतान के समय अधिक भुगतान की कटौती उपादान से कर लिये जाने के पश्चात् आपत्ति निस्तारित कर दी गयी।

(साधारण आपत्ति संख्या–1, निस्तारित)

2. अशुद्ध वेतन निर्धारण के कारण अधिक किये गये भुगतान के संबंध में।

श्री बंशलाल पुत्र पूरन, सफाई कर्मचारी, वार्ड–14 की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि इनका वेतन निर्धारण दि0 01.01.1999 से अशुद्ध निर्धारित है। जिसके कारण कर्मचारी को अधिक वेतन भुगतान प्राप्त हो रहा था।

अतः कर्मचारी को प्राप्त अधिक वेतन की कटौती/समायोजन करते हुये कार्यवाही से सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराने हेतु आपत्ति जारी की गयी थी।

इस आपत्ति के उत्तर में विभाग द्वारा अधिक भुगतान की कटौती रू0 24,940.00 कर्मचारी के देय उपादान से प्रस्तावित की गयी। प्रस्तावित कटौती जाँच में सही पाये जाने पर एवं लेखा विभाग द्वारा भुगतान के समय अधिक भुगतान की कटौती उपादान से कर लिये जाने के पश्चात् आपत्ति निस्तारित कर दी गयी।

(साधारण आपत्ति संख्या–2, निस्तारित)

3. अशुद्ध वेतन निर्धारण के कारण अधिक किये गये भुगतान के संबंध में।

श्री सुरेश पुत्र शीतल, सफाई कर्मचारी, वार्ड–30 की पेंशन पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इनका वेतन निर्धारण दि0 01.01.1986 से दि0 31.12.1994 तक अशुद्ध निर्धारित है। जिसके कारण कर्मचारी को अधिक वेतन भुगतान प्राप्त हो रहा था। कर्मचारी को अनियमित रूप से पति पत्नी के एक साथ सेवारत होने एवं एक ही आवास में निवास करने के बावजूद सेवाकाल में दोहरे आवास भत्ते का भुगतान किया गया।

अतः कर्मचारी को प्राप्त अधिक वेतन एवं किये गये अनयिमित मकान किराये भत्ते की कटौती/समायोजन की कार्यवाही हेतु एवं सम्परीक्षा विभाग को अवगत कराने हेतु आपत्ति जारी की गयी थी।

इस आपत्ति के उत्तर में विभाग द्वारा अधिक वेतन भुगतान की कटौती रू0 30180.00 एवं अनियमित मकान किराये भत्ते भुगतान की कटौती रू0 144540.00 कर्मचारी के देय उपादान से प्रस्तावित

की गयी। प्रस्तावित कटौती जाँच में सही पाये जाने पर एवं लेखा विभाग द्वारा भुगतान के समय अधिक भुगतान की कटौती उपादान से कर लिये जाने के पश्चात् आपत्ति निस्तारित कर दी गयी।

(साधारण आपत्ति संख्या–5, निस्तारित)

4. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

श्री ज्ञानचन्द्र तिवारी, द्वितीय श्रेणी लिपिक, स्वास्थ्य विभाग को नगर आयुक्त के आदेश संख्या 3111/आरोप–30/12–13/क दिनाँक 02.01.13 द्वारा निलम्बित किया गया था।
नगर आयुक्त के आदेश 219/ आरोप–30/14–15/क दिनाँक 13.06.14 के द्वारा कर्मचारी को निम्नांकित दण्डों के साथ सेवा में बहाल किया गयाः–

1. इन्हें निलम्बन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य बकाया वेतन आदि देय न होगा।
2. इनकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोकी गयी।

अतः उपरोक्त प्रविष्टियों के सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली उपलब्ध कराये जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी। विभाग द्वारा सम्परीक्षा विभाग को कर्मचारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली प्रस्तुत की गयी, प्रविष्टियों के सत्यापन के उपरान्त आपत्ति निस्तारित की गयी।

(साधारण आपत्ति संख्या–6, निस्तारित)

जोनल अधिकारी जोन–3

एम0ए0सी0–2 बुकों की सम्परीक्षा में पायी गयी कम जमा धनराशि के संबंध में।

श्री दिनेश सिंह यादव, नायब मोहर्रिर, द्वारा प्रयोग की गयी एम0ए0सी0–2 बुकों की जाँच में पाया गया कि, निम्नलिखित एम0ए0सी0–2 बुकों में धनराशि कम जमा पायी गयी। विवरण निम्न प्रकार हैः–

कम सं	एम0ए0सी0–2 बुक संख्या	रसीद संख्या	कम जमा धनराशि (रू0 में)
1	8278	16–22	50
2	7897	15–19	10
3	7897	27–30	50
4	7897	31–36	02
5	2221	27–29	100
6	441	1–45	01
7	5316	8–18	01
8	4637	48–50	20
9	7043	29–50	60
10	7857	38–50	01
11	8633	32–35	30
12	7059	31–50	1000
13	5285	6	16
14	7697	28–45	02

उपरोक्त कम जमा धनराशि को मय ब्याज के नगर निगम कोष में जमा कराये जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी थी। विभाग द्वारा प्रेषित उत्तर/स्पष्टीकरण में सूचना दी गयी कि कम जमा धनराशि मय ब्याज के रू0 1581.00 एम0ए0सी0–2 संख्या 232 की रसीद संख्या 33 द्वारा नगर निगम कोष में जमा करा दी गयी है। जमा का चालान द्वारा सत्यापन किया गया एवं आपत्ति निस्तारित कर दी गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–7, निस्तारित)

प्रभारी अधिकारी (यातायात)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा समस्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत अभिलेखों की जाँच की गयी। जाँच में सही पाये जाने पर आपत्ति निस्तारित की गयी।

(साधारण आपत्ति संख्या–18, निस्तारित)

साधारण आपत्तियाँ (अनिस्तारित)

स्वास्थ्य विभाग (नगर स्वास्थ्य अधिकारी)

1. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

श्री अशोक पुत्र जमुना, सफाई कर्मचारी, वार्ड सं0–95, स्वास्थ्य विभाग को बिना पूर्व सूचना एवं अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये दि0 12.04.10 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोपों में नगर आयुक्त के आदेश संख्या 127/आरोप–13/11–12/क दि0 12.07.11 द्वारा निलम्बित करते हुये विभागीय जाँच प्रचलित की गई।

नगर आयुक्त के आदेश 590/आरोप–13/14–15/क दि0 27.08.14 द्वारा कर्मचारी को निम्नांकित दण्डों/आदेशों के साथ प्रकरण को निस्तारित करते हुये कार्यवाही समाप्त की गयीः–

1. इन्हें अनुपस्थित दि0 12.04.10 से निलम्बन से पूर्व दि0 11.07.11 तक (465 दिनों को) नो नो वर्क नो पे के सिद्धान्त पर अवैतनिक किया जाता है।
2. इन्हें दि0 12.07.11 से अन्तरिम बहाली के पूर्व दि0 09.10.11 तक निलम्बन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त अन्य बकाया वेतन आदि का भुगतान देय न होगा।

अतः उपरोक्त प्रविष्टियों के सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली उपलब्ध कराये जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी। विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–8)

2. अधिक स्वीकृत किये गये चिकित्सा अवकाशों के संबंध में।

श्रीमती शकुन्तला पत्नी किशन, सफाई कर्मचारी, वार्ड सं0 63 को वित्तीय स्तरोन्नयन दिये जाने से संबंधित पत्रावली का परीक्षण करते समय प्रकाश में आया कि कर्मचारी को सेवा पुस्तिका में अंकित चिकित्सा अवकाश के अनुसार कुल 445 दिनों का चिकित्सा अवकाश दिया गया है। जबकि नियमानुसार किसी भी कर्मचारी को पूरे सेवाकाल में मात्र कुल 365 दिनों का ही पूर्ण वेतन पर चिकित्सा अवकाश दिया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार कर्मचारी को कुल 80 दिन (445–365=80) अधिक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत/दिया गया है।

अतः उक्त के संबंध में जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी। विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी, से सम्परीक्षा विभाग को अवगत नहीं कराया गया।

(साधारण आपत्ति संख्या–9)

3. वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–19)

जोनल अधिकारी जोन–2

सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

श्री एजाज अहमद पुत्र स्व0 जमील अहमद, चपरासी जोनल कार्यालय जोन–2 की नगर आयुक्त के आदेश संख्या 214/पदच्युत/14–15/क(आरोप–4) दिनाँक 12.10.10 द्वारा अस्थाई सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गयी थी।

नगर आयुक्त के आदेश 214/पदच्युत/14–15/क(आरोप–4) दिनाँक 12.10.10 के विरूद्ध कर्मचारी ने आयुक्त कानपुर मण्डल के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दि0 07.04.14 को प्रस्तुत किया गया। आयुक्त, कानपुर मगडल ने अपने आदेश दि0 12.10.10 को निम्नांकित आदेश/शर्त के साथ निरस्त कर दिया कि योगदान आख्या प्रस्तुत करने के दि0 12.05.14 से कार्य पर पुर्नस्थापित किया:–

1. इन्हें अनुपस्थित अवधि एवं सेवा पृथक अवधि का वेतन " नो वर्क नो पे" के सिद्धान्त पर देय नहीं होगें।

उपरोक्त प्रविष्टियों के सत्यापन हेतु सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। विभाग द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–4)

जोनल अधिकारी जोन–6

आडिट हेतु प्रस्तुत की गयी एम0ए0सी0–2 बुकों की सम्परीक्षा में पायी गयी अनियमितता के संबंध में।

स्व0 श्री मनोज शुक्ला, द्वितीय श्रेणी लिपिक, जोनल कार्यालय जोन–6 की प्रस्तुत की गयी एम0ए0सी0–2 बुक सं0 7924 की रसीद सं0 48 से 50 के द्वारा दि0 25.09.13 को कुल धनराशि रू0 4583 वसूल की गयी थी एवं वसूली गयी धनराशि नगर निगम कोष मे जमा नहीं पायी गयी।

उक्त स्थिति गंभीर अनियमितता की श्रेणी की है एवं नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है।

इस गंभीर प्रकरण को संज्ञान में लेने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपत्ति जारी की गयी। ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियों की पुर्नावृति न हो। पूर्व में भी सम्परीक्षा विभाग द्वारा एक अन्य एम0ए0सी0 2 बुक में रू0 1000 कम जमा पाये जाने पर माह जनवरी 2013 में आपत्ति सं0 47 निर्गत की गयी थी। कृत कार्यवाही अज्ञात है।

(साधारण आपत्ति संख्या–3)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–1)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–10)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–2)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–11)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–3)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–12)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–4)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–13)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–5)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–14)

अधिशाषी अभियन्ता (जोन–6)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन

का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–15)

प्रभारी अधिकारी (कैटिल कैचिंग)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–16)

प्रभारी अधिकारी (उद्यान)

वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–17)

प्रभारी अधिकारी (केयर टेकर)

1. **वाहनों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।**

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–20)

2. जेनरेटरों से सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में न प्रस्तुत किया जाना।

इस विभाग से सम्बन्धित जेनरेटरों को माह जनवरी 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उनसे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाने हेतु आपत्ति जारी की गयी, ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके। विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति संख्या–21)

प्रभारी अधिकारी कार्मिक

वेतन निर्धारण के संबंध में।

सम्परीक्षा विभाग की जाँच में पाया गया कि श्री शैलेन्द्र सोनकर, ट्रेसर, नक्शा विभाग की पदोन्नति चपरासी के पद से ट्रेसर के पद पर वेतनमान रू0 3050–75–3950–80–4590 में कार्मिक विभाग के आदेश पत्राँक 1182/व्यय0–15 /2001/क दि0 26.12.01 द्वारा की गयी।

वेतन आयोग (स्थानीय निकाय) 1979–80 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों मे विभिन्न पदो पर नये वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित नगर विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 3525टी/9–1–82–25 /(2)सा0/81 दि0 30 दिसम्बर 1981 व समता समिति उत्तर प्रदेश 1989 (स्थानीय) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के अनुसार प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों पर विभिन्न पदो पर नये वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित नगर विकास अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनाँक 14 फरवरी 1990 में उपरोक्त पद "ट्रेसर" के वेतनमान व अर्हता आदि से सम्बन्धित छायाप्रति संलग्न कर आपत्ति जारी की गयी एवं यदि उक्त के सम्बन्ध में कोई नवीन शासनादेश उपलब्ध हो तो उसको भी संज्ञान मे लेते हुये प्रकरण का परीक्षण कर, सुस्पष्ट आख्या प्रेषित किया जाने की अपेक्षा की गयी, जिससे श्री शैलेन्द्र सोनकर, ट्रेसर, नक्शा विभाग के वेतन निर्धारण की जाँच नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जा सके।

इस संबंध में विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(साधारण आपत्ति संख्या–22)

विशेष आपत्तियाँ

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 के वास्तविक अन्तिम अवशेष की सूचना सम्परीक्षा विभाग को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध मे।

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 58(3) के अन्तर्गत प्रति वर्ष मार्च के अन्तिम कार्यदिवस का वास्तविक अन्तिम शेष आगामी दिन के सायंकाल 5 बजे के पूर्व निश्चित रूप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक को सूचित किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त नियमों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2013–14 के वास्तविक अन्तिम शेष की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

वास्तविक अन्तिम शेष की सूचना यथाशीघ्र सम्परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

(विशेष आपत्ति संख्या 01)

आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय

विषयः–श्री मो0 यूसुफ, पुस्तकालय परिचर, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, का स्थानान्तरण नगर निगम में कर अनियमित भुगतान किये जाने के संबंध में।

श्री मो0 यूसुफ, पुस्तकालय परिचर, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय की व्यक्तिगत पत्रावली की जाँच में पाया गया कि श्री मो0 यूसुफ, महाविद्यालय के स्थायी कर्मचारी हैं व इनका स्थायीकरण पुस्तकालय परिचर के पद पर किया गया है। इनका स्थानान्तरण वर्ष 2000 में रबिश विभाग चुन्नीगंज में कर दिया गया व वर्तमान में अभियन्त्रण खण्ड जोन–1 में कार्यरत हैं। सेवा अभिलेखों के अनुसार वाहन चालक का कार्य कर रहें हैं।

महाविद्यालय के स्थायी कर्मचारी का स्थानान्तरण नगर निगम में किया जाना अनियमित है। महाविद्यालय से स्थानान्तरण हो जाने पर उपरोक्त पद (पुस्तकालय परिचर) के सापेक्ष प्राप्त होने वाला अनुदान (आधा वेतन) महाविद्यालय को प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार कर्मचारी से पद के अनुरूप कार्य न लिये जाने की अनियमितता के साथ ही नगर निगम को आर्थिक क्षति भी हो रही है। साथ ही कर्मचारी को सेवा सम्बन्धी लाभों से वंचित होना पड़ सकता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को प्रेषित किया गया।

इस संबंध में कृत कार्यवाही से अभी तक सम्परीक्षा विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।

(विशेष आपत्ति संख्या 02)

सम्पत्ति विभाग

विषयः– भवन सं0 11/134 से संलग्न म्युनिस्पल प्लाट नं0 30, ब्लाक 11, ग्वालटोली की 194 वर्ग गज 1 वर्ग फिट भूमि पट्टे पर दिये जाने में की गयी अनियमितताओं के संबंध में।

सम्पत्ति विभाग से संबंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि नगर निगम की ग्वालटोली मकबरा से संलग्न म्युनिस्पल प्लाट सं 30, ब्लाक 11, की कुल 1137.50 वर्ग गज भूमि को वर्ष

1975 में पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही की गयी थी। उक्त पट्टागत भूमि ग्वालटोली मकबरे से संलग्न है व एक लम्बी पट्टी के रूप में है। जिसके सम्मुख पचास फिट चौड़ी सड़क है व पीछे ग्वालटोली मकबरे की दीवाल है।

सर्वप्रथम उक्त भूमि पर दुकानों के निर्माण हेतु छोटे छोटे भूखण्डों के रूप में नीलाम किये जाने की कार्यवाही महापालिका द्वारा की गयी, परन्तु ग्वालटोली मकबरा निवासियों, जिन्होंने अपने भवन के खिड़की/दरवाजे/निकलने का रास्ता उक्त पट्टागत भूमि से निकाल लिया था, उनके द्वारा नगर महापालिका/शासन में प्रार्थना पत्र दिये जाने पर शासन द्वारा नीलामी प्रक्रिया को रोक कर ऐसे भवन स्वामियों को जिनके मकानों से उक्त पट्टागत भूमि संलग्न थी, को दिये जाने के आदेश प्रदान किये (पताका–1)।

भवन सं0 11/134, ग्वालटोली मकबरा के पीछे भी उपरोक्त म्युनिस्पल प्लाट की भूमि है, जिसको श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता को पट्टे पर दिया गया।

श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता को पट्टे पर भवन सं0 11/134 से संलग्न भूमि दिये जाने मे पायी गयी अनियमितताओं को बिन्दुवार प्रस्तुत किया जा रहा है–

1. सर्वप्रथम 11/134, ग्वालटोली मकबरा निवासी श्री नवाब मुर्तजा अली खान द्वारा अपने भवन से संलग्न उपरोक्त पट्टागत भूमि लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। परन्तु बाद में श्री नवाब मुर्तजा अली खान के मना कर देने पर उपरोक्त पट्टागत भूमि श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता को रू0 90 प्रति वर्ग गज पर दे दी गयी जो दर ग्वालटोली मकबरा भवन स्वामियों के लिये निर्धारित की गयी थी। पत्रावली से स्पष्ट है कि श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता ग्वालटोली मकबरा निवासी नहीं थे वे मात्र नगर महापालिका के अस्थायी परमिट होल्डर थे। व उपरोक्त पट्टागत भूमि पर लकड़ी की टाल द्वारा व्यवसाय कर रहे थे।
2. उपरोक्त भूमि की जब पूर्व में नीलामी की गयी थी तो श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता ने रू0 160 प्रति वर्ग गज पर 76.5 वर्ग गज भूमि ली थी परन्तु नीलामी निरस्त हो जाने का लाभ श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता को प्राप्त हो गया व ग्वालटोली मकबरा निवासी न होते हुये भी इनको भूमि उसी दर (रू0 90 प्रति वर्ग गज) पर दी गयी जिस दर पर ग्वालटोली मकबरा निवासियों को दी गयी। श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता को नीलामी द्वारा 76.5 वर्ग गज भूमि रू0 12240.00 जमा करने पर प्राप्त होती। जबकि शासनादेश का लाभ अनियमित रूप से प्राप्त हो जाने पर मात्र रू0 11647.00 जमा करने पर उनको 194 वर्ग गज 1 वर्ग फिट भूमि प्राप्त हो गयी है।

उपरोक्त भूमि से संबंधित अन्य पत्रावलियों के परीक्षण से यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता ने उक्त भूमि लेने के अतिरिक्त अन्य संलग्न भूमि पर भी दावा कर दिया जबकि उनको जो भूमि पट्टे पर दी गयी है वह पट्टा आवंटन ही अनियमितता की परिधि में आता है।

श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता की पट्टागत भूमि का नवीनीकरण 30 वर्ष हेतु दि0 01.02.2005 से किया जाना है चूँकि श्री गुप्ता को आवंटित पट्टागत भूमि में अनियमिततायें थी, अतः उक्त स्थिति में सम्परीक्षा की दृष्टि से पट्टा नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त पट्टागत भूमि की स्थलीय जाँच/पैमाइश अभियन्त्रण विभाग से करायी जाय जिससे यह स्पष्ट हो सके कि श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता द्वारा नगर निगम की अन्य संलग्न भूमि पर अतिक्रमण तो नही किया गया है व श्री अम्बिका प्रसाद गुप्ता से नियमानुसार स्वीकृत भवन का नक्शा भी प्राप्त किया जाय, तदोपरान्त नगर निगम के आर्थिक हितो को दृष्टिगत रखते हुये इनको उक्त भूमि वर्तमान बाजार दर पर फ्री होल्ड कराये जाने हेतु लिखा जाय व श्री गुप्ता द्वारा इन्कार करने की स्थिति में विधिक परामर्श लेकर अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

प्रकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त को प्रेषित किया गया। इस संबंध में कृत कार्यवाही से अभी तक सम्परीक्षा विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।

(विशेष आपत्ति संख्या 03)

सम्पत्ति विभाग

विषयः— भवन सं0 11/139 से संलग्न म्युनिस्पल प्लाट नं0 30, ब्लाक 11, ग्वालटोली की 95 वर्ग गज 5 वर्ग फिट भूमि पट्टे पर दिये जाने में की गयी अनियमितताओं के संबंध में।

सम्पत्ति विभाग से संबंधित अभिलेखों/पत्रावलियों की जाँच में पाया गया कि नगर निगम की ग्वालटोली मकबरा से संलग्न म्युनिस्पल प्लाट सं 30, ब्लाक 11, की कुल 1137.50 वर्ग गज भूमि को वर्ष 1975 में पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही की गयी थी। उक्त पट्टागत भूमि ग्वालटोली मकबरे से संलग्न है व एक लम्बी पट्टी के रूप में है। जिसके सम्मुख पचास फिट चौड़ी सड़क है व पीछे ग्वालटोली मकबरे की दीवाल है।

सर्वप्रथम उक्त भूमि पर दुकानों के निर्माण हेतु छोटे छोटे भूखण्डों के रूप में नीलाम किये जाने की कार्यवाही महापालिका द्वारा की गयी, परन्तु ग्वालटोली मकबरा निवासियों, जिन्होंने अपने भवन के खिड़की/दरवाजे/निकलने का रास्ता उक्त पट्टागत भूमि से निकाल लिया था, उनके द्वारा नगर महापालिका/शासन में प्रार्थना पत्र दिये जाने पर शासन द्वारा नीलामी प्रकिया को रोक कर ऐसे भवन स्वामियों को जिनके मकानों से उक्त पट्टागत भूमि संलग्न थी, को दिये जाने के आदेश प्रदान किये।

भवन सं0 11/139, ग्वालटोली मकबरा के पीछे भी उपरोक्त म्युनिस्पल प्लाट की भूमि है, जिसमें से 95 वर्ग गज 5 वर्ग फिट भूमि श्री लियाकत खान को 30 वर्ष के पट्टे पर दी गयी थी। पट्टा अवधि दि0 01.02.1975 से 30 वर्ष के लिये थी, जो दि0 31.01.2005 को समाप्त हो चुकी है। स्पष्ट नही हो सका है कि पट्टा नवीनीकृत कराया गया है अथवा नहीं। यदि पट्टा नवीनीकृत नहीं कराया गया है तो यह पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है व पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के कारण भूमि का मालिकाना हक, नगर निगम में निहित हो गया है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट नही हो सका है कि वर्तमान में उक्त पट्टागत भूमि पर मूल पट्टाधारक ही काबिज है अथवा कोई अन्य।

अतः प्रकरण नगर आयुक्त के संज्ञान में इस आशय से लाया गया कि उपरोक्त पट्टागत भूमि की स्थलीय जाँच अभियन्त्रण विभाग से कराकर, अग्रिम कार्यवाही की जाय।

इस संबंध में कृत कार्यवाही से अभी तक सम्परीक्षा विभाग को अवगत नहीं कराया गया है।

(विशेष आपत्ति संख्या 04)

भाग–2

2.1 कुल निस्तारित पेंशन प्रकरण व राय सम्बन्धित प्रकरण :–

वर्ष 2014–2015 के सत्र में कुल निस्तारित पेंशन प्रकरण व राय सम्बन्धित प्रकरण का विवरण निम्नानुसार हैः–

1		वर्ष 2014–15 के सत्र में कुल निस्तारित पेंशन प्रकरण	400
2		वर्ष 2014–15 के सत्र में राय सम्बन्धित प्रकरण	1300
2	(क)	सेवा सम्बन्धित राय प्रकरण	1057
2	(ख)	लेखा सम्बन्धित राय पकरण	62
2	(ग)	अन्य राय प्रकरण	181

2.2 नगर निगम के कर्मचारियों को अधिक किये गये भुगतान से संबंधित प्रकरण :–

पेंशन पत्रावलियों के निस्तारण के समय यह पाया गया कि कर्मचारियों का वेतन निर्धारण अशुद्ध किये जाने, अधिक अवकाश स्वीकृत किये जाने, चयन तथा प्रोन्नत वेतनमान समय से पूर्व स्वीकृत कर दिये जाने, ऋण अदायगी न किये जाने से जो अधिक भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को प्राप्त हो गया उसकी कटौती उपादान से की गई। उपादान से की गयी कटौती का विवरण माहवार निम्नानुसार हैः–

उपादान से कटौतीः–

माह/वर्ष	उपादान से कटौती (रू0 में)
अप्रैल 2014	347100.00
मई 2014	532332.00
जून 2014	587284.00
जुलाई 2014	338699.00
अगस्त 2014	601225.00
सितम्बर 2014	168395.00
अक्टूबर 2014	225865.00
नवम्बर 2014	815224.00
दिसम्बर 2014	1089491.00
जनवरी 2015	330672.00
फरवरी 2015	488887.00
मार्च 2015	496710.00
कुल योग	**6021884.00**

कतिपय प्रशानिक प्रकरणों पर दी गयी रायः–

अपर नगर आयुक्त

1. श्री रमेश चन्द्र दुबे, सुपरवाइजर, अधिशाषी अभियन्ता जोन–1 की चिकित्सा व्यय पत्रावली का परीक्षण किया गया। पत्रावली में संलग्न बिल संख्या 68562 दि0 18.07.2014 मूल बिल की छायाप्रति है, साथ ही बिल संख्या 22737 दि0 06.08.2014 जो कि रू0 105 का है, के स्थान पर रू0 1131.75 की धनराशि अंकित कर भुगतान प्रस्तावित किया गया है। संलग्न प्रमाण पत्र भी नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चिकित्सा) द्वारा नियमानुसार सत्यापित नहीं है।

   इस संबध में यह राय दी गयी कि उपरोक्त अनियमितताओं के संबंध में नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चिकित्सा) से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाये।

2. कृपया शास्त्री नगर, कानपुर की श्रम विभाग की भूमि पर स्थित बस्ती में रहने वाले नगर निगम कर्मचारियों को आवास भत्ता न दिये जाने से संबंधित संलग्न प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करें।

   नियमानुसार मकान किराया भत्ता ऐसे सभी स्थानीय निकाय कर्मचारियों को अनुमन्य है, जिन्हें स्थानीय निकाय द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता ऐसे दोनो प्रकार के कर्मचारियों को बिना रसीद प्रस्तुत किये अनुमन्य होगा जो किराये के मकान मे रहते है अथवा अपने निजी आवास में रहते हैं।

   पत्रावली में उपलब्ध जोनल सेनेटरी आफीसर की रिपोर्ट दि0 26.07.2014 के अनुसार नगर निगम के सफाई कर्मचारी चुन्नूवाद पुत्र शोभा, श्रीमती कलावती पत्नी चुन्नूवाद व जल संस्थान कर्मचारी श्री भगवान दीन, शास्त्री नगर स्थित पार्क में मकान बना कर रह रहे हैं। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त बस्ती के निवासियों द्वारा उपरोक्त स्थल पर रहने के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं, परन्तु भूमि के स्वामित्व अथवा श्रम विभाग की किराये की रसीद आदि कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है।

   इस संबध में यह राय दी गयी कि सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने भवन की भूमि के स्वामित्व/किरायेदारी के संबंध में 15 दिन के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने का नोटिस दे दिया जाय व साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा मकान किराया भत्ता काटे जाने के सम्बन्ध मे निर्णय लिया जाना उचित होगा।

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

श्रीमती सुमित्रा देवी, चपरासी, जोन–5 के दि0 08.09.2010 से 31.05.2011 तक के ग्रेड वेतन 1800 उच्चीकरण अन्तर बिल पर लेखा विभाग की जाँच आख्या दि0 20.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करें। श्रीमती सुमित्रा देवी, चपरासी को पूर्व में दि0 01.01.1996 से दि0 31.01.2013 तक का वेतन अंतर धनांक रू0 42615.00 का भुगतान किया जा चुका है। पत्रावली में संलग्न बिल की छायाप्रति से स्पष्ट है कि इन्हें दि0 08.09.2010 से दि0 31.01.2013 तक ग्रेड वेतन रू0 1650 के आधार पर वेतन अंतर का भुगतान किया गया है, जबकि इनके द्वारा उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 1800 के आधार पर माह जून पेड जुलाई 2011 से ही भुगतान प्राप्त हो रहा है।

इस संबध में यह राय दी गयी कि पत्रावली में संलग्न पूर्व में भुगतान किये गये बिल की छायाप्रति का परीक्षण कर जोनल अधिकारी (जोन–5) से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जाय। स्पष्टीकरण के साथ ही अधिक भुगतान की वसूली/समायोजन किया जाना अपेक्षित है। कृत कार्यवाही से आडिट विभाग को अवगत करायें।

2.4 लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

1. सम्परीक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में उठायी गयी साधारण आपत्तियों एवं विशेष आपत्तियों में से अभी तक कुल 17 साधारण आपत्तियाँ एवं 4 विशेष आपत्तियाँ अनिस्तारित हैं। मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा अनिस्तारित साधारण एवं विशेष आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारीगणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाना अपेक्षित है।
2. नगर निगम के लेखों को उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तैयार करना एवं सम्परीक्षित कराना आवश्यक है। परन्तु यह खेद का विषय है कि बार–बार लेखा अधिकारी एवं नगर आयुक्त के संज्ञान में लाने के बावजूद नगर निगम के लेखों को उपरोक्त लेखा नियमावली के अनुसार तैयार नहीं किया जाता है। लेखा नियमावली के प्रपत्र संख्या–1 में सामान्य रोकड़बही तैयार किया जाना एवं उसे प्रतिदिन समस्त भुगतान प्रमाणकों के साथ आडिट हेतु मुख्य नगर लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 के अनुसार अनिवार्य है, परन्तु लेखा अधिकारी द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है एवं सामान्य रोकड़बही नियमानुसार तैयार नहीं की जा रही है। उक्त के संबंध में लेखा विभाग के पत्र संख्या 88/सी.ए.ओ./2015–16 दिनाँक 10.06.2015 से यह प्रतीत होता है कि सामान्य रोकड़बही नियमानुसार तैयार नहीं की जा रही है। इस संबंध में मा0 कार्यकारिणी समिति का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है कि तत्काल लेखा अधिकारी को नगर निगम लेखा नियमावली 1960 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तैयार करने एवं सम्परीक्षा कराने हेतु आदेशित किया जाये।
3. नगर निगम कर्मचारियों के पेंशन एवं उपादान प्रकरण, मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गये कानपुर नगर निगम निवृत्ति वेतन एवं सामान्य भविष्य निधि विनियम 1962 में दी गयी व्यवस्था जैसा कि अन्तिम रूप से संशोधन संख्या 1708 लेखा/माह–पेंशन–87–88 दिनाँक 11 जनवरी 1988 गजट में प्रकाशन दिनाँक 13 अगस्त 1988, द्वारा संशोधित है, के अन्तर्गत निस्तारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पेंशन मामलों के प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब परिवर्जन हेतु नियमावली 1995 बनायी गयी थी, जिसके अनुसार कार्य किये जाने हेतु एक समय सारिणी दी गयी है। जिसका अनुपालन कानपुर नगर निगम के विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में नहीं किया जाता है, जिससे कि सम्परीक्षा विभाग पर अनावश्यक दबाव रहता है। कभी–कभी सेवानिवृत्ति तिथि के एक या दो दिन पूर्व लेखा विभाग द्वारा पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु सम्परीक्षा विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। जो कि घोर आपत्तिजनक है। मा0 कार्यकारिणी समिति से नगर आयुक्त के माध्यम से उपरोक्त नियमावली के अनुसार पेंशन प्रकरण पर कार्यवाही हेतु समस्त विभागाध्यक्षों आदेशित किया जाना अपेक्षित है।
4. पूरे वित्तीय वर्ष में सामान्य रोकड़बही आडिट विभाम में प्रस्तुत न किये जाने के कारण कानपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति के विषय में टिप्पणी किया जाना संभव नहीं हो सका है।

उपसंहार

यद्यपि लेखा नियम–76 में स्पष्ट प्राविधान है कि आपत्ति पाने के 15 दिन के अन्दर विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से उत्तर भेजा जाना चाहिये, परन्तु एक प्रतिशत आपत्तियों का भी उत्तर 15 दिनों के अन्दर नहीं भेजा जाता। परिणामस्वरूप जैसे–जैसे आपत्तियाँ पुरानी पड़ती जाती हैं वैसे–वैसे सम्बन्धित अभिलेखों को सम्परीक्षा के समक्ष उपलब्ध कराने में अथवा न्यूनताओं की पूर्ति किये जाने में कठिनाई बढ़ती जाती है और इस प्रकार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपत्तियों का निस्तारण ही असम्भव हो जाये।

अतः लेखा नियमावली के नियम 76 का अनुपालन किस प्रकार किया जाय इस ओर नगर निगम अधिकारियों तथा राज्य सरकार को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जो कर्मचारी बिना आपत्तियों का उत्तर दिये स्थानान्तरित अथवा सेवा–निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी नहीं हो पाती है। अतः इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

इन आपत्तियों का एक बड़ा अंश सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से सम्बन्धित है। नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) में स्पष्ट प्राविधानित है कि धारा 142 व 143 के अधीन लेखों की जाँच एवं सम्परीक्षा के प्रयोजनों के लिये मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा धारा 143 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों को नगर निगम के समस्त लेखे तथा उनसे सम्बन्धित समस्त अभिलेख और पत्र व्यवहार प्राप्त होंगे तथा नगर आयुक्त उक्त लेखा परीक्षकों अथवा कार्यकारिणी समिति को प्राप्तियों तथा व्यय से सम्बन्धित ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण, जिसे वे माँगें, तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

इन प्राविधानों के होते हुये भी बहुत से अभिलेख कर्मचारियों/विभागीय अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, विशेषकर वे अभिलेख जिनमें अनियमितताओं के अधिक होने की प्रबल सम्भावना होती है। ऐसे अभिलेखों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में बार–बार ध्यान–पत्रों, अनुस्मारकों, विभागीय पत्रों द्वारा विभागीय अधिकारियों तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, परन्तु न तो अधिकारियों द्वारा कोई भी ध्यान दिया गया, न ही उनके द्वारा सम्परीक्षा हेतु सम्बन्धित अभिलेख ही उपलब्ध कराये गये। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मास के अधिकांश लेखे असम्परीक्षित पड़े रह गये। ऊपर दर्शाये गये प्रकरण ऐसे हैं कि जिन पर सम्बन्धित अधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा तत्काल विशेष कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अन्त में इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर माननीय कार्यकारिणी/सदन का ध्यानाकर्षित कराना समीचीन होगा कि ऑडिट विभाग में ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के 10 व लेखा परीक्षक के 17 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में मात्र 01 ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक व 5 लेखा परीक्षक कार्यरत हैं। इस प्रकार इतने कम ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षकों द्वारा यथासम्भव लेखा परीक्षा का कार्य कुशलतापूर्वक सम्पादित किया गया।

12-10-15

(हुबई)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक